NSW Health

NSW GOVERNMENT

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पहले अनुरोध के लिए रोगी जानकारी मार्गदर्शिका

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु

First request patient information guide
Voluntary assisted dying

Hindi

health.nsw.gov.au/vad

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पहले अनुरोध के लिए रोगी जानकारी मार्गदर्शिका: यदि आपने NSW में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुरोध किया है तो इस संबंध में जानकारी

इस मार्गदर्शिका में कुछ कानूनी और चिकित्सीय शब्द शामिल किए गए हैं। यदि इन शब्दों को समझने में आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आप इस संबंध में अपने डॉक्टर से बात कर सकते/ती हैं या **NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service (सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु देखभाल नेविगेटर सेवा) से 1300 802 133** पर संपर्क कर सकते/ती हैं।

यदि आपको भाषाई सहायता की आवश्यकता है तो आप **अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS National)** को **131 450** पर संपर्क कर सकते/ती हैं और NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service से बात करवाने के लिए कह सकते/ती हैं।

याद रखें, आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया को किसी भी समय, यहाँ तक कि दवा लेने के बाद भी स्थगित या बंद कर सकते/ती हैं। यदि आप इसे आगे जारी नहीं रखना चाहते/ती हैं तो आपको इसे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है।

SHPN (OCHO) 230868-6
ISBN 978-1-76023-661-8
© NSW Ministry of Health 2023

Version control		
Version	**Date**	**Details**
1.0	17 November 2023	Approved by NSW Health Secretary

NSW में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में मुख्य जानकारी

NSW में 28 नवंबर 2023 से, पात्र लोगों द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त करने का चयन किया जा सकता है

'सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पहले अनुरोध के लिए इस रोगी जानकारी मार्गदर्शिका' में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की पृष्ठभूमि और पात्रता मानदंड की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। इसमें सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पहले अनुरोध (सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के लिए डॉक्टर से किया गया औपचारिक अनुरोध) करने वाले रोगियों के लिए सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

यदि आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर (डॉक्टर) से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के लिए पहला अनुरोध करते/ती हैं, तो उन्हें आपको अवश्य सूचित करना होगा कि क्या उनके द्वारा आपका अनुरोध स्वीकार किया गया है या नहीं (सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुरोध करने के बारे में और अधिक जानकारी नीचे दिए गए *'चरण 1: सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला अनुरोध'* देखें)।

केवल कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के आपके पहले अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं। इन मेडिकल प्रैक्टिशनरों को अधिकृत सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रैक्टिशनर कहा जाता है। किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को अधिकृत प्रैक्टिशनर बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण पूरा करने की आवश्यकता होती है।

यदि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के आपके अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो वे आपको इस प्रक्रिया के अगले चरण के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करेंगे।

यदि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसा उनके अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर न होने के कारण से हो सकता है। इस मामले में, आपको अपने जनरल प्रैक्टिशनर, इलाज करने वाली नैदानिक टीम से बात करनी चाहिए या NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service को 1300 802 133 पर संपर्क करना चाहिए, जो अधिकृत प्रैक्टिशनर ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के लिए कड़े पात्रता मानदंड हैं। आपको सभी मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी और जिन्हें नीचे उल्लिखित किया गया है।

अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रशामक (पीड़ाहारक) देखभाल और अन्य उपचार विकल्प शामिल हैं। भले ही आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन करते/ती हैं, तो भी आपको उच्च गुणवत्ता वाली प्रशामक देखभाल और उपचार तक पहुँच प्राप्त हो सकती है।

इस मार्गदर्शिका के अंत में आपके लिए उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

पृष्ठभूमि

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु से क्या तात्पर्य है?

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु से तात्पर्य किसी पात्र व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सीय सहायता मांगने से है। यह ज़रूरी है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे एडवांस्ड और बढ़ते रहने वाले रोग, बीमारी या चिकित्सीय स्थिति से ग्रस्त हो जिसके परिणामस्वरूप छह महीने (या मोटर न्यूरॉन रोग जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के लिए 12 महीने) के भीतर उनकी मृत्यु होने की उम्मीद हो। यह भी ज़रूरी है कि वे किसी ऐसी पीड़ा का सामना कर रहे हों जिससे उनके द्वारा स्वीकृत किसी तरीके से राहत नहीं दिलाई जा सकती हो।

NSW में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए कौन पात्र है?

आपके द्वारा सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने और NSW Voluntary Assisted Dying Board (NSW सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु बोर्ड) से अनुमोदन प्राप्त करने सहित कानून में उल्लिखित सारी प्रक्रिया का पालन करने से ही आपको NSW में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त हो सकती है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के पात्र होने के लिए, आपके द्वारा निम्नलिखित को पूरा किए जाने की आवश्यकता होगी:

1. आप ऐसे वयस्क हैं (18 वर्ष या इससे अधिक की आयु) जो:
    a. ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, या
    b. ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी है, या
    c. सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अपना पहला अनुरोध करते समय कम से कम लगातार तीन वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं।
2. सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अपना पहला अनुरोध करते समय आप कम से कम 12 महीने से NSW में सामान्य रूप से निवासी रहे हैं (*नीचे देखें)।
3. कम से कम किसी एक ऐसे रोग, बीमारी या चिकित्सीय स्थिति से ग्रस्त हैं जो:
    a. एडवांस्ड और बढ़ते रहने वाला है
    b. संभावनाओं की दृष्टि से, जिसके परिणामस्वरूप छह महीने के भीतर (या मोटर न्यूरॉन रोग जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के लिए 12 महीने के भीतर) आपकी मृत्यु हो जाएगी, और
    c. यह आपको ऐसी पीड़ा दे रहा है जिससे आपके द्वारा माने जाने वाले उचित सहनीय तरीके से राहत नहीं दिलाई जा सकती है। यह आपको ऐसी पीड़ा दे रहा है जिससे उस तरीके से राहत नहीं मिल सकती जिसे आप सहनीय मानते हैं।
4. आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता रखते/ती हैं।
5. ऐसा कदम स्वेच्छा से (अपनी पसंद से) और न कि किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या बाध्यता के कारणवश उठा रहे/ही हैं।
6. सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए स्थायी अनुरोध करते/ती हैं। इसका यह अर्थ है कि अनुरोध निरंतर, सतत और स्थायी है।

यदि आप इन सभी मानदंडों को पूरा नहीं करते/ती हैं, तो आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुरोध करने के पात्र नहीं होंगे/गी।

* यदि आप कम से कम 12 महीने से NSW में सामान्य रूप से निवासी नहीं रहे/ही हैं, तो आप तब भी NSW में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के पात्र हो सकते/ती हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको NSW Voluntary Assisted Dying Board के माध्यम से आवेदन करना होगा। निवास छूट के बारे में जानकारी NSW हेल्थ वेबसाइट: *www.health.nsw.gov.au/voluntary-assisted-dying/Pages/board.aspx* पर उपलब्ध है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता से क्या तात्पर्य है?

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता से तात्पर्य सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के प्रत्येक चरण में आपके पास निम्नलिखित कार्य करने की क्षमता के होने की आवश्यकता से है:

- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के संबंध में आपको दी गई जानकारी या सलाह को समझना।
- आपको प्रदान की गई जानकारी या सलाह को याद रखना ताकि आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुरोध कर सकें या सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु (सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निर्णय) तक पहुँच प्राप्ति के लिए निर्णय ले सकें।
- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु संबंधी निर्णय में शामिल प्रक्रिया, चरणों और आवश्यकताओं को समझना।
- इस बारे में समझना कि आपके द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निर्णय लेने से क्या होता है। इसमें यह समझना भी शामिल है कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवा लेने से आपकी मृत्यु हो जाएगी।
- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति का निर्णय लेने से पहले उपरोक्त वर्णित जानकारी पर विचार करना।
- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के निर्णय को बातचीत, संचार उपकरणों, या सांकेतिक भाषा या इशारों का उपयोग करके प्रकट करने में सक्षम होना।

स्वेच्छा से कदम उठाने से क्या तात्पर्य है?

स्वेच्छा से कदम उठाने से तात्पर्य यह है कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त करना आपकी अपनी इच्छा से किया जाना आवश्यक है।।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया को शुरू करने या इसे पूरा करने के लिए कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल सकता है या आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है। दबाव में दुर्व्यवहार, जबरदस्ती, डराना-धमकाना, धमकी और अनुचित प्रभाव शामिल हो सकते हैं।

किसी के द्वारा आप पर सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु चुनने के लिए दबाव डालना गैर-कानूनी (अवैध) है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के दौरान दुभाषिया का उपयोग करना

यदि आपको बातचीत करने में सहायता की आवश्यकता है तो आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के हर चरण में दुभाषिए का उपयोग कर सकते/ती हैं। यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दुभाषिए की व्यवस्था की जाएगी। इस बारे में और अधिक जानकारी कि भाषांतरण कौन कर सकता है, नीचे वर्णित *'मेरे लिए कौन सी जानकारी और सहायताएँ उपलब्ध हैं?'* के अंतर्गत प्रदान की गई है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया में 11 चरण हैं। अगले पृष्ठ पर दिया गया फ़्लोचार्ट (प्रवाह चित्र) प्रक्रिया के मुख्य चरणों को दर्शाता है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर और अधिक चरणों की आवश्यकता हो सकती है।

NSW में सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु

NSW में सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया में **11 चरण** हैं। आप किसी भी समय प्रक्रिया को रोक सकते/ती हैं या इसे बंद कर सकते/ती हैं।

चरण 1.	आप किसी डॉक्टर से सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए **पहला निवेदन करते/ती हैं**
चरण 2.	कॉर्डिनेटर डॉक्टर **पहला आकलन** पूरा करता है
चरण 3.	दूसरा डॉक्टर **परामर्शी आकलन** पूरा करता है
चरण 4.	आप **लिखित घोषणा** पूरी करते/ती हैं
चरण 5.	आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए **अंतिम आवेदन** करते/ती हैं
चरण 6.	आपका कॉर्डिनेटर डॉक्टर **अंतिम समीक्षा** पूरी करता है
चरण 7.	अपने डॉक्टर की सहायता के साथ, आप फैसला लेते/ती हैं कि **दवा का सेवन कैसे करना है**
चरण 8.	आपका डॉक्टर **दवा के प्राधिकरण के लिए आवेदन** करता है। सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु समिति स्वीकृति देता है
चरण 9.	आपका डॉक्टर **दवा की प्रिस्क्रिप्शन** देता है
चरण 10.	आप यदि चाहें और जब चाहें **दवा** का सेवन करते/ती हैं या दवा आपको दी जाती है
चरण 11.	**मृत्यु प्रमाणपत्र** जारी किया जाता है

NSW सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु देखभाल नेविगेटर सेवा

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में सवालों का जवाब देने के लिए एक फोन लाइन है।

सेवा रोगियों और परिवारों सहित हर किसी का समर्थन करेगी।

1300 802 133 पर फोन करें, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक।

यह Voluntary Assisted Dying Act 2022 (सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु अधिनियम 2022) के अधीन सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के मुख्य चरणों का सारांश है। यह सारांश केवल संकेतात्मक है और रोगी की व्यक्तिगत सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाले सभी परिदृष्य इसमें शामिल नहीं हैं।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया (11 चरण)

चरण 1: सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला अनुरोध (आप डॉक्टर से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुरोध करते/ती हैं)

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आपको किसी ऐसे डॉक्टर से औपचारिक अनुरोध करना होगा जो आपकी मदद करने के लिए पात्र हो। इसे 'सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला अनुरोध' कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, डॉक्टर आपका जनरल प्रैक्टिशनर (GP) या कोई विशेषज्ञ हो सकता है। आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट के दौरान यह अनुरोध करना होगा। यह किसी एक स्थान पर आमने-सामने बैठकर की जाने वाली अपॉइंटमेंट या वीडियो कांफ्रेंस अपॉइंटमेंट हो सकती है, जहाँ डॉक्टर द्वारा आपको देखा और सुना जा सकता है।

- यह ज़रूरी है कि आपका अनुरोध स्पष्ट हो, अस्पष्ट नहीं। इसका यह अर्थ है कि यह ज़रूरी है कि डॉक्टर यह समझ पाए कि आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुरोध कर रहे/ही हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए आप “सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु” कह सकते/ती हैं । यदि आपको अपना अनुरोध प्रकट करने में सहायता की आवश्यकता है तो आप संचार उपकरणों या इशारों का भी उपयोग कर सकते/ती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके द्वारा जो कहा जा रहा है, उसे डॉक्टर समझ रहा है, डॉक्टर द्वारा आपसे सवाल पूछने की आवश्यकता हो सकती है।
- यदि आप सामान्य पूछताछ या जानकारी की मांग कर रहे/ही हैं, तो यह सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला अनुरोध नहीं है।
- केवल आप ही सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला अनुरोध कर सकते/ती हैं। आपकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला अनुरोध नहीं कर सकता है।

डॉक्टर आपको बताएगा यदि वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के आपके पहले अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने में सक्षम होने के लिए हाँ या नही कहते हैं।

सभी डॉक्टर सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं। यदि आपका डॉक्टर सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का समर्थन नहीं करने के कारण आपको मना कर देता है, तो इसे 'अंतरात्मा आपत्ति' कहा जाता है। यदि ऐसा होता है, तो यह ज़रूरी है कि डॉक्टर सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु को अस्वीकार करने और सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति में आपकी सहायता नहीं कर सकने के बारे में आपको यथाशीघ्र बताए।

डॉक्टर द्वारा अनुरोध स्वीकार करने के योग्य या सक्षम नहीं होने के कारण भी आपको मना किया जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे:

- लंबे समय से डॉक्टर नहीं हैं या उनके पास उचित योग्यता नहीं है
- उन्होंने अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, या
- कोई अन्य कारण (जैसे कि उनका उपलब्ध न होना)।

ऐसा डॉक्टर जिसे अंतरात्मा आपत्ति नहीं है, उसे निम्नलिखित करने की आवश्यकता होगी:

- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में आपको बताना
  - यथाशीघ्र बताना, यदि वे अनुरोध स्वीकार करने के पात्र नहीं हैं, या
  - अन्यथा आपके द्वारा अनुरोध किए जाने के दो व्यावसायिक दिनों के भीतर बताना।
- आपको यह 'सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पहले अनुरोध के लिए रोगी जानकारी मार्गदर्शिका' प्रदान करना। यह ज़रूरी है कि आपको यह मार्गदर्शिका दी जाए, फिर चाहे वे आपके सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के अनुरोध को स्वीकार करें या अस्वीकार करें।

यदि कोई डॉक्टर आपके सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो आप किसी अन्य डॉक्टर से अनुरोध कर सकते/ती हैं। आपके लिए अनुरोध स्वीकार करने योग्य किसी अन्य डॉक्टर को ढूंढने में NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service द्वारा आपकी सहायता की जा सकती है (अगले पृष्ठ पर देखें *'मेरे लिए कौन सी जानकारी और सहायताएँ उपलब्ध हैं?'*)

चरण 2: पहला आकलन (पहला आकलन डॉक्टर द्वारा पूरा किया जाता है)

जब किसी डॉक्टर द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे **आपके समन्वय (कॉर्डिनेटिंग) प्रैक्टिशनर** बन जाते हैं।

इसका तात्पर्य है कि वे निम्नलिखित करेंगे:

- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया को आपके लिए शुरू और समन्वयित (प्रबंधित) करना।
- यह आकलन करना कि क्या आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के पात्र हैं या नहीं । इसे 'प्रथम आकलन' कहा जाता है। सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला आकलन आमने-सामने होने वाली अपॉइंटमेंट में किया जाता है।

आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते/ती हैं (ऊपर वर्णित *'NSW में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए कौन पात्र है'* देखें)। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकता है:

- आपकी आयु का प्रमाण मांगना
- ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता, स्थायी निवास या NSW निवास का प्रमाण मांगना
- आपके चिकित्सीय इतिहास, चिकित्सीय स्थिति और सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के अनुरोध के बारे में प्रश्न पूछना।

वे दस्तावेज़ जो कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर की मदद कर सकते हैं, उनमें आपका NSW ड्राइवर लाइसेंस, ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स और आपके आवासीय पते को दर्शाने वाले उपयोगिता (बिजली-पानी, गैस आदि) बिल शामिल हैं।

यदि आप **पात्र नहीं हैं**, तो आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा यह बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है और आपकी सहायता के लिए वे क्या कर सकते हैं।

यदि आप **पात्र हैं**, तो आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा आपको सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी, और यह जांच की जाएगी कि आपको अपनी प्रशामक देखभाल और उपचार विकल्पों के बारे में जानकारी है या नहीं। आप अगले चरण पर भी जा सकते/ती हैं।

चरण 3: परामर्श आकलन (परामर्श आकलन किसी अन्य डॉक्टर द्वारा किया जाता है)

कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा किसी अन्य योग्य डॉक्टर (उनसे अलग) से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति की आपकी पात्रता पर दूसरी राय देने के लिए कहा जाएगा। इस संबंध में कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा आपके लिए इस दूसरे डॉक्टर को ढूंढा जाएगा - आपको यह करने की ज़रूरत नहीं है।

यह डॉक्टर अधिकृत प्रैक्टिशनर होता है जिसे 'कनसल्टिंग (परामर्शदाता) प्रैक्टिशनर' भी कहा जाता है। कनसल्टिंग प्रैक्टिशनर द्वारा ही 'परामर्श आकलन' किया जाएगा। परामर्श आकलन में भी प्रथम आकलन के समान चरण शामिल हैं।

आपको एक और आकलन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दो डॉक्टरों द्वारा आपकी सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति की पात्रता को जांचने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु आपके लिए एक उचित और कानूनी विकल्प है। परामर्श आकलन आमने-सामने बैठकर किया जाने वाला आकलन है।

आपका आकलन किए जाने वाले एक या दोनों डॉक्टरों द्वारा आपके पात्रता मानदंडों को जांचने के लिए किसी अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता या विशेषज्ञ (जैसे मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक) से सलाह ली जा सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब आपके आकलन करने वाले डॉक्टरों को आपकी सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की पात्रता के बारे में निर्णय लेने के लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता हो।

चरण 4: लिखित घोषणा (लिखित घोषणा आपके द्वारा पूरी की जाती है)

यदि कॉर्डिनेटिंग और कनसेलटिंग प्रैक्टिशनर दोनों द्वारा ही सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की आपकी पात्रता को सही पाया जाता है, और आप इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहते/ती हैं, तो आपको इस संबंध में लिखित घोषणा करनी होगी। इसका अर्थ है कि आपको सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्ति के लिए लिखित रूप में फॉर्म भरना होगा।

कॉर्डिनेटिंग या फिर कनसेलटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा आपको घोषणा पत्र पूरा करने के लिए दिया जायेगा। अधिकांश लोगों के लिए यह कागजी दस्तावेज होगा जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

आपको लिखित घोषणा पर अपने कॉर्डिनेटिंग और कनसेलटिंग प्रैक्टिशनर के सामने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसपर अपने घर या अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर हस्ताक्षर कर सकते/ती हैं। यदि आपका फॉर्म खो जाता है, तो आप दूसरे फॉर्म के लिए NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service से संपर्क कर सकते/ती हैं (देखें *'मेरे लिए कौन सी जानकारी और सहायताएँ उपलब्ध हैं?'*)।

आपको इस फॉर्म को दो लोगों (जिन्हें 'गवाह' कहा जाता है) के सामने पूरा करना होगा और इसपर हस्ताक्षर करने होंगे।

गवाह निम्नलिखित नहीं हो सकते हैं:

- कोई बच्चा (17 वर्ष और इससे कम आयु का)
- परिवार का सदस्य (इसमें विस्तृत परिवार जैसे सौतेले भाई-बहन, सौतेले माता-पिता या सौतेले बच्चे भी शामिल हैं)
- यह जानते या विश्वास रखते हैं कि वे आपकी वसीयत में लाभार्थी हैं
- यह जानते या विश्वास रखते हैं कि आपकी मृत्यु से उन्हें वित्तीय या किसी अन्य भौतिक तरीके से लाभ हो सकता है
- आपका कॉर्डिनेटिंग और कनसेलटिंग प्रैक्टिशनर
- आपके कॉर्डिनेटिंग और कनसेलटिंग प्रैक्टिशनर के परिवार का सदस्य या कर्मचारी।

आप अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर से इस बारे में बात कर सकते/ती हैं कि आप गवाह बनने के लिए किससे पूछ सकते/ती हैं।

यदि आप दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, तो आप किसी अन्य वयस्क को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते/ती हैं। ऐसे मामले में, जब उस व्यक्ति द्वारा आपकी ओर से हस्ताक्षर किया जाए तो आप के साथ आपके दो गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। आपकी ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आपका गवाह, आपका कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर या आपका कनसलटिंग प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता है।

यदि आप शारीरिक रूप से घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते/ती हैं और यदि आप आमतौर पर ऐसा करते/ती हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हस्ताक्षर करने में सक्षम हो सकते/ती हैं।

यदि आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया में अगले चरण पर जाना चाहते/ती हैं, तो आपको अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को पूरा लिखित घोषणा पत्र देने की आवश्यकता होगी।

चरण 5: अंतिम अनुरोध (आपके द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अंतिम अनुरोध किया जाता है)

यदि आप लिखित घोषणा को पूरा करते/ती हैं और प्रक्रिया जारी रखना चाहते/ती हैं, तो आपको 'सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अंतिम अनुरोध' करना होगा। आपके द्वारा यह अनुरोध आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को किए जाने की आवश्यकता है। आपको इस बारे में स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि आप इस चरण में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त करना चाहते/ती हैं।

आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अंतिम अनुरोध कब कर सकते/ती हैं

आपके द्वारा अपना अंतिम अनुरोध कब किया जा सकता है, इस संबंध में कई नियम हैं। यह आपको अपने निर्णय के बारे में सोचने और यह जांच करने का समय देने के लिए है कि कहीं आपने अपना मन बदल तो नहीं लिया है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अंतिम अनुरोध **'निर्दिष्ट अवधि'** के समाप्त होने तक नहीं किया जा सकता है। सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु अधिनियम 2022 (Voluntary Assisted Dying Act 2022) के तहत रोगी के अंतिम अनुरोध के संबंध में 'निर्दिष्ट अवधि' को निम्न अवधि के रूप से परिभाषित किया गया है:

- रोगी द्वारा प्रथम अनुरोध किए जाने वाले दिन से शुरू, और
- उस दिन के 5 दिन बाद वाले दिन पर समाप्त।

आपके लिए इसका अर्थ यह है कि:

- अपना अंतिम अनुरोध करने से पहले आपको अपने सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पहले अनुरोध करने के दिन से कम से कम 6 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी

और

- आपके द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अंतिम अनुरोध उस दिन नहीं किया जा सकता है जिस दिन आपका परामर्श आकलन पूरा हुआ हो। आपका परामर्श आकलन पूरा होने के बाद आपको कम से कम एक दिन इंतजार करना होगा। फिर आप अगले दिन से अंतिम अनुरोध कर सकते/ती हैं।

निर्दिष्ट अवधि का उदाहरण (समय सीमा)

इस उदाहरण का उपयोग केवल उदाहराणात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है, यह ध्यान में रखें कि आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जितना चाहें उतना समय ले सकते/ती हैं।

दिन 1	दिन 2	दिन 3	दिन 4	दिन 5	दिन 6	दिन 7
1 जुलाई	2 जुलाई	3 जुलाई	4 जुलाई	5 जुलाई	6 जुलाई	7 जुलाई
सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पहला अनुरोध किया गया					अंतिम अनुरोध किए जाने से कम से कम एक दिन पहले परामर्श आकलन किए जाने की आवश्यकता है	इस तिथि से अंतिम अनुरोध किया जा सकता है

संकेत: इस उदाहरण में निर्दिष्ट अवधि को गुलाबी छायांकन से इंगित किया गया है।

यदि कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर और कनसलटिंग प्रैक्टिशनर इस बात से सहमत हों कि निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले रोगी की मृत्यु हो सकती है या निर्णय लेने की क्षमता खो सकती है, तो रोगी निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अंतिम अनुरोध कर सकता है। यदि आपके मामले में ऐसा होता है, तो आपका कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर आपके साथ इस पर चर्चा करेगा।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अंतिम अनुरोध किए जाने के बाद, कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा 'अंतिम समीक्षा' की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

चरण 6: अंतिम समीक्षा (आपके डॉक्टर द्वारा अंतिम समीक्षा पूरी की जाती है)

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए आपके अंतिम अनुरोध किए जाने के बाद, कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा अंतिम समीक्षा की जाएगी। आपको इस चरण के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपका कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर कोई प्रश्न पूछने के लिए आपसे संपर्क नहीं करता है।

कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को निम्नलिखित सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी:

- सभी कागजी कार्रवाई और प्रक्रियाएं पूर्ण हैं और कानूनी रूप से सही हैं
- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के संबंध में आपके पास अभी भी निर्णय लेने की क्षमता है
- यह आपका निर्णय है, और कोई भी इस संबंध में आप पर दबाव नहीं डाल रहा है
- आप अभी भी सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त करना चाहते/ती हैं, और आप यह समझते/ती हैं कि इसके परिणामस्वरूप आपकी मृत्यु हो जाएगी।

चरण 7: दवा-प्रशासन संबंधी निर्णय (यह आप तय करते/ती हैं कि दवा कैसे लेनी है)

अंतिम समीक्षा पूरी होने के बाद, यदि आप इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहते/ती हैं तो आपको इस बारे में सोचना होगा कि आप अपने जीवन को समाप्त करने वाली दवा कैसे लेना चाहते/ती हैं।

इस चरण को 'दवा-प्रशासन संबंधी निर्णय' कहा जाता है। इसे आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर के साथ एक ही स्थान पर आमने-सामने के अपॉइंटमेंट में किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में वीडियो-कांफ्रेंस अपॉइंटमेंट या फोन पर चर्चा या निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस बारे में बात करेंगे कि दवा कैसे लेनी है। कानून के अनुसार यह चर्चा एक ही स्थान पर आमने-सामने बैठकर किए जाने की आवश्यकता है।

आपको अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर के साथ यह निर्णय लेना होगा कि यदि:

- आप अपने आप दवा लेंगे (स्व-प्रशासित दवा), या
- कोई डॉक्टर या नर्स प्रैक्टिशनर आपको दवा देंगे (प्रैक्टिशनर-प्रशासित दवा)।

आप किसी भी समय इस निर्णय को रद्द कर (इस संबंध में अपना मन बदल सकते/ती हैं) सकते हैं। यदि आप इस बात को बदलने का निर्णय लेते/ती हैं कि आपको दवा कैसे दी जाएगी, तो आपको इस बारे में अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर से परामर्श करना चाहिए।

यह ज़रूरी है कि दवा कैसे दी जाएगी, आप इससे संबंधित निर्णय अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा प्रक्रिया में अगले चरण पर जाने से पहले लें।

यदि आप स्वयं दवा लेने का चयन करते/ती हैं

आपको दवा स्वयं लेनी होगी। दवा स्वयं लेने के लिए, आपको किसी और की मदद के बिना इसे निगलने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आपके पास PEG (परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टॉमी) या NG ट्यूब (नासोगैस्ट्रिक ट्यूब) है, तो आप इसके माध्यम से भी दवा ले सकते/ती हैं। आपको ऐसा करने में स्वयं सक्षम होने की आवश्यकता है। आप अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर से अपने लिए उचित माध्यम के बारे में बात कर सकते/ती हैं।

यदि आप स्वयं दवा लेने का चयन करते/ती हैं, तो आपको इस भूमिका में कार्य करने के लिए सहमत अपने किसी संपर्क व्यक्ति को नामांकित करना होगा। यह संपर्क व्यक्ति कोई भी निम्न वयस्क (18 वर्ष और इससे अधिक आयु का व्यक्ति) हो सकता है:

- परिवार का कोई सदस्य या मित्र
- आपका कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर
- आपका कनसलटिंग प्रैक्टिशनर
- अन्य पंजीकृत स्वास्थ्य प्रैक्टिशनर।

आपका संपर्क व्यक्ति निम्नलिखित कर सकता है:

- कुछ परिस्थितियों में अधिकृत सप्लायर से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु दवा प्राप्त करना
- आपके लिए सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु दवा को तैयार करने में मदद प्रदान करना या आपको दवा सप्लाई करने के लिए इसे अपने पास रखना और संग्रहीत करना।

यह ज़रूरी है कि आपका संपर्क व्यक्ति निम्नलिखित करे:

- किसी भी अप्रयुक्त या बची हुई दवा को किसी विशेष अस्पताल फार्मेसी में 'अधिकृत डिस्पोजर' कहे जाने वाले व्यक्ति को निम्न के बाद लौटा दे:
  - आपकी मृत्यु के बाद, या
  - आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को यह बताकर कि आपने अपना मन बदल लिया है, दवा को स्वयं लेने के आपके निर्णय को रद्द किए जाने के बाद
- यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को बताना। उन्हें यह बताने की आवश्यकता है यदि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु दवा लेने से या यदि दवा लिए बिना ही आपकी मृत्यु हो जाती है।

आपके संपर्क व्यक्ति को NSW Voluntary Assisted Dying Board द्वारा संपर्क व्यक्ति के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी (और अधिक जानकारी नीचे दी गई है)।

आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा आपको पूरा करने के लिए फॉर्म दिया जाएगा और आप अपना संपर्क व्यक्ति चुनेंगे। इसे ***संपर्क व्यक्ति नियुक्ति फॉर्म*** कहा जाता है।

अधिकांश लोगों के लिए, यह फॉर्म वास्तविक कागजी दस्तावेज होता है। आपको और आपके संपर्क व्यक्ति दोनों को यह फॉर्म भरना होगा और इसपर हस्ताक्षर करने होंगे। कुछ लोग फॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते/ती हैं तो आपका कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर आपको इस बारे में बताएगा। यदि आप इस फॉर्म को पूरा नहीं कर सकते/ती हैं और इसपर हस्ताक्षर नहीं कर सकते/ती हैं, तो आप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते/ती हैं। लेकिन उन्हें आपके सामने इस पर हस्ताक्षर करना होगा।

एक बार पूरा हो जाने पर, आपको या आपके संपर्क व्यक्ति को फॉर्म अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को वापस देने की आवश्यकता होगी। वे फॉर्म की एक प्रति NSW Voluntary Assisted Dying Board को देंगे। ऐसा आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा प्रक्रिया में अगले चरण पर बढ़ने से पहले किए जाने की आवश्यकता है।

संपर्क व्यक्ति नियुक्ति फॉर्म प्राप्त होने के पांच व्यावसायिक दिनों के भीतर, आपके संपर्क व्यक्ति को NSW Voluntary Assisted Dying Board द्वारा जानकारी भेजी जाएगी। इसमें निम्नलिखित के बारे में बताया जाएगा:

- कुछ स्थितियों में, उन्हें अप्रयुक्त या बची हुई दवा किसी विशेष अस्पताल या फार्मेसी में 'अधिकृत डिस्पोजर' कहे जाने वाले व्यक्ति को लौटाने की आवश्यकता होगी
- जुर्माने संबंधी जानकारी, यदि संपर्क व्यक्ति द्वारा कानून का पालन नहीं किया जाता है
- संपर्क व्यक्ति की सहायता के लिए उपलब्ध सहायता सेवाएँ।

यदि आप अपना संपर्क व्यक्ति बदलने का निर्णय लेते/ती हैं तो आपको अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को इस बारे में बताना होगा। यदि आपके संपर्क व्यक्ति द्वारा इस भूमिका को निभाने से इनकार किया जाता है तो इस बारे में भी आपको अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर को बताना होगा। आपको यथाशीघ्र किसी नए संपर्क व्यक्ति को चुनना होगा।

यदि आप प्रैक्टिशनर-प्रशासित दवा लेने का चयन करते/ती हैं

यदि आपके द्वारा यह विकल्प चुना जाता है, तो जो व्यक्ति आपको दवा देगा उसे 'दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर' कहा जाता है।

अधिकांश मामलों में, आपका दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर आपका कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर ही होगा। यह कोई अन्य अधिकृत प्रैक्टिशनर डॉक्टर या नर्स प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं। आप अपने कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर के साथ इस बारे में चर्चा कर सकते/ती हैं कि यह कौन होगा।

आपके दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर द्वारा आपको नाड़ी के माध्यम से दवा दी जाएगी। नाड़ी के माध्यम से देने का अर्थ आपके शरीर की नस में सुई (कैनुला) डालने से है। दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर द्वारा यह भी तय किया जा सकता है कि आपकी नाड़ी, या यदि आपके पास PEG (परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टॉमी) या NG ट्यूब (नासोगैस्ट्रिक ट्यूब) है, तो किसका उपयोग करना बेहतर विकल्प है। आप अपने दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर से अपने लिए सर्वोत्तम विकल्प के बारे में बात कर सकते/ती हैं।

चरण 8: सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सब्सटेंस प्राधिकरण के लिए आवेदन करना (आपके डॉक्टर द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सब्सटेंस प्राधिकरण के लिए आवेदन किया जाता है)

दवा-प्रशासन संबंधी निर्णय लेने के बाद, आपके कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सब्सटेंस प्राधिकरण (इस मार्गदर्शिका में "दवा संबंधी प्राधिकरण" कहा जाता है) के लिए आवेदन किया जायेगा।

यह आवेदन NSW Voluntary Assisted Dying Board के पास जाता है। NSW Voluntary Assisted Dying Board स्वतंत्र लोगों का एक समूह है।

NSW Voluntary Assisted Dying Board द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए सभी आवेदनों की समीक्षा की जाती है। वे सभी दस्तावेज़ प्राप्त होने और सभी कानूनी आवश्यकताओं के पूरा होने की जांच करते हैं।

यदि सब कुछ सही है, तो वे दवा लेने की अनुमति दे देंगे। फिर कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा आपके जीवन को समाप्त करने के लिए दवा की प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है।

इस चरण के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

चरण 9: सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए दवा की प्रिस्क्रिप्शन (आपके डॉक्टर द्वारा दवा प्रिस्क्राइब की जाती है)

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए दवा की प्रिस्क्रिप्शन की सप्लाई केवल NSW Voluntary Assisted Dying Pharmacy Service (NSW सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु फार्मेसी सेवा) में कार्यरत 'अधिकृत सप्लायर' कहे जाने वाले लोग ही कर सकते हैं।

कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन को सीधे अधिकृत सप्लायर के पास भेजा जायेगा।

इस चरण के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

चरण 10: सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवा की सप्लाई और उपयोग (यदि और जब आप चाहें तो स्वयं दवा लेते हैं या आपको दवा दी जाती है)

अधिकृत सप्लायर आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं दे सकता है। प्रिस्क्रिप्शन मिलने पर फार्मासिस्ट द्वारा प्रिस्क्रिप्शन की जांच की जाती है। वे इसके कानूनी और प्रामाणिक (वास्तविक) होने की सुनिश्चितता के लिए इसकी जांच करते हैं।

अधिकृत सप्लायर द्वारा आपको यह दवा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि आप यह फैसला नहीं ले लेते/ती हैं कि आपको यह दवा चाहिए।

स्व-प्रशासित दवा के लिए:

- जब आप दवा प्राप्त करने के लिए तैयार हों तो आपको NSW Voluntary Assisted Dying Pharmacy Service से संपर्क करना होगा।
- अधिकृत सप्लायर द्वारा दवा सीधे आप तक पहुंचायी जाएगी। वे आपको दवा को स्टोर करने, तैयार करने और लेने के तरीके के बारे में लिखित जानकारी सहित बहुत समर्थन प्रदान करेंगे।

दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर के लिए:

- आपको अपने दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर से संपर्क करने की आवश्यकता होगी ताकि उनके द्वारा आपको दवा दिए जाने के लिए समय का प्रबंध किया जा सके।
- अधिकृत सप्लायर द्वारा दवा-प्रशासकीय प्रैक्टिशनर को सीधे दवा पहुँचाई जाएगी।

चरण 11: मृत्यु की अधिसूचना (मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है)

आपकी मृत्यु के बाद, डॉक्टर द्वारा मृत्यु के कारण का मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म भरा जाता है। मृत्यु के कारण का मेडिकल प्रमाणपत्र अंतिम मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं होता है। इस दस्तावेज़ में यह बताया जाता है कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। यदि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवा लेने से आपकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के कारण के मेडिकल प्रमाणपत्र में इस बारे में बताया जाएगा। कानून के तहत इसे वर्णित करने की आवश्यकता है। प्रमाणपत्र में उस रोग, बीमारी या चिकित्सीय स्थिति का नाम भी बताया जाएगा जिसके कारणवश आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पात्र बने थे।

NSW Registry of Births Death and Marriages (NSW जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्री) से प्राप्त अंतिम मृत्यु प्रमाण पत्र में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

मेरे लिए कौन सी जानकारी और सहायताएँ उपलब्ध हैं?

आपकी सहायता के लिए कई सेवाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रक्रिया में आप स्वयं को अकेला नहीं समझें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे उचित व्यक्ति आपका कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर होता है। आप अपनी स्वास्थ्य सेवा उपचार टीम या NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service से भी संपर्क कर सकते/ती हैं।

NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service, रोगियों और परिवारों सहित सभी को सहायता प्रदान करती है। जिन लोगों से आप बात करेंगे उन्हें 'केयर नेविगेटर' कहा जाता है। वे निम्न कर सकते हैं:

- NSW में सहायता- प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करना
- सहायता- प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पात्र और प्रक्रिया के दौरान आपकी सहायता के लिए उपलब्ध प्रैक्टिशनर ढूंढने में आपको मदद प्रदान करना
- अन्य उपयोगी संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने में आपको मदद प्रदान करना।

केयर नेविगेटर सेवा से संपर्क करने के लिए:

- फ़ोन करें: 1300 802 133 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक (सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर)
- ईमेल: *NSLHD-VADCareNavigator@health.nsw.gov.au*

यदि आपको भाषाई सहायता की आवश्यकता है तो आप **अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS National)** को **131 450** पर संपर्क कर सकते/ती हैं और NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service के साथ बात करवाने के लिए कह सकते/ती हैं।

आपकी भाषा में संसाधनों सहित सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में और अधिक जानकारी NSW हेल्थवेबसाइट: www.health.nsw.gov.au/vad-info पर उपलब्ध है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के दौरान दुभाषिए का उपयोग करना

यदि आपको बातचीत में सहायता की आवश्यकता है तो आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के हर चरण में दुभाषिए का उपयोग कर सकते/ती हैं। यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो आपके अधिकृत प्रैक्टिशनर द्वारा दुभाषिए की व्यवस्था की जाएगी।

यह ज़रूरी है कि दुभाषिए को NSW Health Care Interpreting Services (NSW हेल्थ केयर इंटरप्रेटिंग सर्विसेज - (HCIS)) या National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (नेशनल एक्रिडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रिटर्स - NAATI) द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यह ज़रूरी है कि दुभाषिया:

- आपके परिवार का सदस्य न हो
- यह जानता या मानता न हो कि वे आपकी वसीयत में लाभार्थी हैं
- यह जानता या मानता न हो कि आपकी मृत्यु से उन्हें वित्तीय या किसी अन्य भौतिक तरीके से लाभ हो सकता है (दुभाषिया सेवाओं के लिए उचित शुल्क प्राप्त करने के अलावा)
- आपके रहने या स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने वाली स्वास्थ्य सुविधा का मालिक या प्रबंधक न हो
- आपको स्वास्थ्य सेवाएँ या देखभाल सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति न हो।

जीवन के अंत से संबंधी सहायता

अपने जीवन की समाप्ति के करीब पहुँच रहे लोगों को विभिन्न स्तरों की देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है। इस दौरान आवश्यकताएं भी बदल जाएंगी। NSW हेल्थ वेबसाइट द्वारा NSW में जीवन के अंत और प्रशामक देखभाल संसाधनों की सूची प्रदान की जाती है: www.health.nsw.gov.au/palliativecare

अग्रिम देखभाल योजना (एडवांस्ड केयर प्लेनिंग) में आपकी मान्यताओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में बात करना भी शामिल है। इसमें उस स्वास्थ्य देखभाल के बारे में भी बताया जा सकता है जो आप गंभीर रूप से बीमार या घायल होने और अपने बारे में नहीं बता पाने पर प्राप्त करना चाहेंगे। अग्रिम देखभाल निर्देश सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त करने के लिए इस मार्गदर्शिका में वर्णन दी गई प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकता है।

और अधिक जानकारी NSW स्वास्थ्य वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.health.nsw.gov.au/patients/acp

मानसिक स्वास्थ्य सहायता

मृत्यु और सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में बात करना कठिन और दुखद हो सकता है।

यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित नि:शुल्क सेवाओं से संपर्क करें:

- Lifeline (लाइफलाइन) को 13 11 14 पर संपर्क करें - संकटकालीन टेलीफोन सहायता 24 घंटों के लिए खुली है। ऑनलाइन भी उपलब्ध है: www.lifeline.org.au
- Beyond Blue को 1300 22 4636 पर संपर्क करें - संकटकालीन टेलीफोन सहायता के लिए 24 घंटे खुला है। ऑनलाइन भी उपलब्ध है: www.beyondblue.org.au
- Transcultural Mental Health Line (ट्रांसकल्चरल मेंटल हेल्थ लाइन) को 1800 648 911 पर संपर्क करें - सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच खुली है। आपकी संस्कृति को समझने और आपकी भाषा बोलने वाले चिकित्सकों से बात करें
- 13YARN को 13 92 76 पर संपर्क करें - संकटकालीन टेलीफोन समर्थन के लिए 24 घंटे खुला है। एबोरिजिनल या टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर संकट समर्थक के साथ बातचीत करें
- Mental Health Line (मेन्टल हेल्थ लाइन) से 1800 011 511 पर संपर्क करें - आपको NSW Health की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 24 घंटे खुला है

NSW के रिज़नल (क्षेत्रीय) और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले रोगियों के लिए सहायता

पृथक रोगी यात्रा और आवास सहायता योजना (Isolated Patients Travel and Accommodation Assistance Scheme) द्वारा आपकी यात्रा और आवास लागत के लिए NSW सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यदि आप पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते/ती हैं तो आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु संबंधी अपॉइंटमेंट्स के लिए योजना के पात्र हो सकते/ती हैं।

और अधिक जानकारी के लिए पृथक रोगी यात्रा और आवास सहायता योजना वेबसाइट: www.iptaas.health.nsw.gov.au/for-patients/voluntary-assisted-dying पर जाएं या 1800 478 227 पर संपर्क करें

मेरी व्यक्तिगत जानकारी के साथ क्या होता है?

यदि आप NSW में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुरोध करते/ती हैं या उस तक पहुँच प्राप्त करते/ती हैं तो NSW Voluntary Assisted Dying Board आपकी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

और अधिक जानकारी के लिए, NSW हेल्थ वेबसाइट पर गोपनीयता वक्तव्य देखें: *गोपनीयता स्टेटमेंट*।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के अपने अनुरोध के बारे में मुझे किसे बताना होगा?

यह आप तय करते/ती हैं कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त करने के अपने निर्णय के बारे में आप किसे बताएंगे/गी। आपको इस प्रक्रिया के दौरान अन्य लोगों से किसी भी संभावित मदद की आवश्यकता के बारे में भी सोचना चाहिए।

आपको सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के अपने अनुरोध के बारे में अपने सामान्य डॉक्टर को बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भले ही आपके सामान्य डॉक्टर इस प्रक्रिया में शामिल न हों, फिर भी आपको उन्हें यह बताना चाहिए। यदि आप किसी आवासीय सुविधा में रहते/ती हैं या रह रहे/ही हैं, तो आपको सुविधा प्रबंधक (फसिलिटी मैनेजर) को भी इस बारे में बताना चाहिए।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रदान करना

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया में शामिल कोई भी व्यक्ति (आप, आपका परिवार, मित्र या देखभालकर्ता, और प्रैक्टिशनर) इस प्रक्रिया के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव या प्रतिक्रिया साझा करना चाह सकते हैं।

आप NSW हेल्थ वेबसाइट: *www.health.nsw.gov.au/patientconcerns/Pages/feedback.aspx* पर फीडबैक फॉर्म भरकर यह जानकारी प्रदान कर सकते/ती हैं

शिकायत की जानकारी

यदि आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रक्रिया के अपने अनुभव के बारे में चिंतित हैं या आपको कोई शिकायत है तो यदि आपके पास कोई कॉर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर है, तो आपको सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए।

Voluntary Assisted Dying Act 2022 के तहत कोई भी डॉक्टर आपके द्वारा मृत्यु के लिए चिकित्सीय सहायता मांगने के परिणामस्वरूप आपको सामान्य रूप से मिलने वाली देखभाल प्रदान करना नहीं रोक सकता है। आप NSW में व्यक्तियों या संगठनों के बारे में Health Care Complaints Commission (स्वास्थ्य देखभाल शिकायत आयोग - HCCC) को शिकायत कर सकते/ती हैं। और अधिक जानकारी

HCCC की वेबसाइट पर पाई जा सकती है: *www.hccc.nsw.gov.au*

आप Australian Health Practitioner Regulation Agency (ऑस्ट्रेलियाई हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी - Ahpra) के समक्ष किसी पंजीकृत स्वास्थ्य प्रैक्टिशनर के आचरण या प्रदर्शन के बारे में चिंताएँ व्यक्त कर सकते/ती हैं। और अधिक जानकारी Ahpra की वेबसाइट पर पाई जा सकती है:*www.ahpra.gov.au*

अभिस्वीकृति

इस मार्गदर्शिका में प्रदान की गई जानकारी जीवन के अंतिम समय के लिए देखभाल कार्यक्रम (WA स्वास्थ्य विभाग (WA डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ)) के संसाधनों पर आधारित है। इसका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।

NSW
GOVERNMENT